

कानून सं 20035/53/92-राज्य ( अंग्रेजी ), दिनांक 17.7.1992

विषय:- सरकारी प्रकाशनों आदि का द्विभाषी रूप में प्रकाशन।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के अनुसरण में गठित संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन खंड-4 में उपर्युक्त विषय में निम्नलिखित संस्तुति की गई हैः—

“ भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/संगठनों आदि द्वारा केवल अंग्रेजी में ही नहीं बल्कि द्विभाषी रूप में ही प्रकाशन निकाले जाएं। हिंदी प्रकाशनों की मुद्रित संख्या अंग्रेजी प्रकाशनों की तुलना में कम न हो और द्विभाषिक प्रकाशनों में हिंदी के पृष्ठों की संख्या अंग्रेजी के पृष्ठों की संख्या से कम न हो और हिंदी में नए मोलिक प्रकाशन निकाले जाएं।

2. राजभाषा विभाग के दिनांक 28.1.92 के संकल्प सं-12019/10/91-राजभाषा ( भा ) के अनुसार समिति की उक्त संस्तुति स्वीकार कर ली गई है।

3. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 में किए गए प्रावधान के अनुसार प्रक्रिया संबंधी सभी साहित्य हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषी ( डिग्लॉट ) रूप में यथास्थिति मुद्रित, साइक्लोस्टाइल और प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त राजभाषा अधिनियम, 1963 ( यथासंशोधित 1967 ) की धारा 3(3) में प्रावधान है कि सभी प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ही निकाले जाएं।

2. राजभाषा विभाग के दिनांक 28.1.92 के संकल्प सं-12019/10/91-राजभाषा ( भा ) के अनुसार समिति की उक्त संस्तुति स्वीकार कर ली गई है।

3. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 में किए गए प्रावधान के अनुसार प्रक्रिया संबंधी सभी साहित्य हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषी ( डिग्लॉट ) रूप में यथास्थिति मुद्रित, साइक्लोस्टाइल और प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त राजभाषा अधिनियम, 1963 ( यथासंशोधित 1967 ) की धारा 3(3) में प्रावधान है कि सभी प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ही निकाले जाएं।

4. इस परिप्रेक्ष्य में कृपया संसदीय राजभाषा समिति का संस्तुति पर किए गए निर्णय का पूरी तरह अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और आवश्यक जांच बिंदु भी निश्चित कर दिए जाएं ताकि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में उल्लिखित प्रकाशन डिग्लॉट फार्म में ही छपे और अन्य कोई भी प्रकाशन न तो केवल अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाए और न ही उसके हिंदी रूप की मुद्रण संख्या अंग्रेजी रूप की मुद्रण संख्या से कम हो। ये आदेश कृपया अपने संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों और आयोगों आदि को अनुपालन के लिए पृष्ठांकित कर दिए जाएं और इसकी जानकारी इस विभाग को भी भिजवाने की व्यवस्था की जाए।